



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com



पत्रांक 534 / 13सी.

दिनांक 28/03/2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,  
रुद्रप्रयाग ।

उपवन संरक्षक  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,  
गोपेश्वर ।

विषय:- जनपद- रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/ 39084/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं. 8बी./यू.सी.पी./6/179/2020/ एफ.सी./98 दिनांक 22-04-2021 ।

महोदय,


उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि सौंपे जाने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.00 है. सिविल सोयम भूमि न्याल्सू (रामपुर) खसरा संख्या 822, 823 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायप तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे। (ख) गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाइडलाईन पैरा 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्वमें किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन विभाग द्वारा अनुपालन किया जाना है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के आदेश सं. 5020/छब्बीस-/2020-21 दिनांक 23-07-2021 द्वारा 4.500 हे. ग्राम-न्याल्सू (रामपुर) खसरा संख्या 822, 823 में सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। (आदेश की प्रति व खतौनी की नकल सलंगन है)। वन विभाग द्वारा अनुपालन किया जाना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि

	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।
5	<p><b>शुद्ध वर्तमान मूल्य—</b></p> <p>(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मन्त्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt-2) दिनांक 18-09-2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03-10-2006 एवं 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 में जारी दिषा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.005 है. वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>एन.पी.वी. के धनराशि मूल्य रु 22350618.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। (NEFT/RTGS प्राप्ति रसीद दिनांक 13-09-2021 सलंगन हैं)</p> <p>एन.पी.वी. के दरों में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित बचनवद्धता प्रमाण-पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ सं. 85 में संलग्न हैं (पुनः सत्यापित छायाप्रति सलंगन कर प्रेषित है।)</p>
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 286 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के शर्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	खण्ड द्वारा संरक्षण चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है की मोटर मार्ग निर्माण में न्यूनतम वृक्षों का पातन हो एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 286 Trees का वन विभाग द्वारा छपान के पश्चात वन निगम से कटान ऑफरोड दुलान हेतु प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुसार धनराशि जमा कर दी जायेगी।
7	Animal Passage as approved by the Standing Committee of NBWL will be Constructed by user agency under supervision of forest Department.	शर्त मान्य है।
8	Wildlife Mitigation Plan may be undertaken under working plan for NPV fund of CAMPA.	शर्त मान्य है।
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic.in">https://parivesh-nic.in</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	खण्ड द्वारा पूर्ण भुगतान ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic.in">https://parivesh-nic.in</a> ) के माध्यम से जमा किया गया है। (आनॅलाईन प्रति रसीद सलंगन है)
10	गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस	खण्ड द्वारा गाइडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार उल्लेखित कार्यों के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

	तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य उल्लेखित कार्यों के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	
11	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	खण्ड द्वारा एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
12	प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	शर्त मान्य है।
13	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।	शर्त मान्य है।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	लागू नहीं है।
15	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना खण्ड द्वारा प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त मान्य है।
16	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
17	प्रयोजना अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोतो से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
18	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार खण्ड द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
19	परियोजना के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	शर्त मान्य है।
20	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
22	इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का क उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिषा-निर्देशानुसार फाइल सं. 11-42/2017-FC, दिनांक 29-01-2018 के अनुसार उक्त पर कार्यवाही होगी।	उपरोक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का खण्ड द्वारा पूर्ण पालन किया जायेगा।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर लागू होने वाली निर्धारित शर्तों का खण्ड द्वारा अनुपालन किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह आवश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वनविभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थलों में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	खण्ड द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में सलंगन Muck Disposal Plan के अनुसार ही किया जायेगा तथा निस्तारण स्थलों को वनविभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थलों में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic.in">https://parivesh-nic.in</a> ) पर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।	खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic.in">https://parivesh-nic.in</a> ) पर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

  
 अधिशासी अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,  
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

पत्रांक /13सी.

दिनांक / /2026

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 ऊखीमठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,  
 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का कब्जा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के वि०ख० ऊखीमठ में त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.50 हे० वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि ग्राम-न्यालसू (रामपुर) .सिविल. 9.00 हे० क्षेत्रफल जिसमें कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के द्वारा म्यूटेशन आदेश निर्गत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। म्यूटेशन आदेश तथा अमलदरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है-

म्यूटेशन आदेश का पत्रांक व दिनांक	श्रेणी	खता सं०	ख० सं०	कुल रकबा	अर्जित रकबा
5020/68वीं सं०-17/2020-21 दिनांक 23 जुलाई 2021	9(ख)-2 अन्य प्रकार के जंगल झाड़ियां	26	822	5.437	5.437
			823	3.794	3.563
योग:-					9.00 हे०

उपरोक्त भूमि का प्रयोक्ता अभिकरण लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ द्वारा मौके पर मानकानुसार आ०सी०सी० पिल्लरों से सीमांकन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	कुल क्षेत्रफल(हे०)	पिल्लर सं०	पिल्लर का साईज (L.W.H)	अक्षांश	देशान्तर
न्यालसू (रामपुर)	9.00 हे०	1	60x60x75 CM	30°36'44.00" N	79°00'47.00" E
		2	60x60x75 CM	30°36'44.00" N	79°00'47.00" E
		3	60x60x75 CM	30°36'45.00" N	79°00'48.00" E
		4	60x60x75 CM	30°36'45.00" N	79°00'48.00" E
		5	60x60x75 CM	30°36'48" N	79°00'52.00" E
		6	60x60x75 CM	30°36'56.08" N	79°00'56.51" E
		7	60x60x75 CM	30°36'57.00" N	79°00'57.00" E
		8	60x60x75 CM	30°36'59.00" N	79°00'57.00" E
		9	60x60x75 CM	30°36'58.00" N	79°00'56.00" E
		10	60x60x75 CM	30°36'59.00" N	79°00'54.00" E
		11	60x60x75 CM	30°37'0.00" N	79°00'51.00" E
		12	60x60x75 CM	30°37'1.00" N	79°00'50.00" E
		13	60x60x75 CM	30°37'08.00" N	79°00'53.00" E
		14	60x60x75 CM	30°37'05.00" N	79°00'49.00" E
		15	60x60x75 CM	30°37'08.00" N	79°00'50.00" E
		16	60x60x75 CM	30°37'04.00" N	79°00'53.00" E
		17	60x60x75 CM	30°36'58.94" N	79°01'1.61" E
		18	60x60x75 CM	30°36'48.04" N	79°00'54.98" E
		19	60x60x75 CM	30°36'44.00" N	79°00'50.00" E
		20	60x60x75 CM	30°37'2.55" N	79°00'57.82" E

K. K. Khatiwala  
अमीन  
नि.ख. ले. नि. वि.  
ऊखीमठ

S. Singh  
A.A.E.

सहायक अभियन्ता बांधशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० निर्माण विभाग  
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग) मुहर सहित

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमलदरामद अभिलेखों में उल्लेखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गयी भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण व कब्जा दिया जाता है।

CS. Teh.  
उप. जिलाधिकारी  
ऊखीमठ

हस्ताक्षर  
राजस्व उपनिरीक्षक  
क्षेत्र  
तहसील  
जलपुर् मुहर सहित (अमलदरामद)

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमलदरामद अभिलेखों में उल्लेखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गयी भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के कब्जे में लिया जाता है।

उप. प्रभागीय वनधिकारी  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग


Abhishek  
(अभियन्ता) नेगी  
वन विभाग  
रुद्रप्रयाग


हस्ताक्षर  
25/03/2021  
मुहर सहित

संयुक्त निरीक्षण आख्या


आज दिनांक 28/01/2026 को उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग महोदय के पत्रांक संख्या-2462/12-(2) दिनांक 20/01/2026 के अनुपालन में त्रिभुगीनारायण से लेखी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.50 हे० वन भूमि के खवज में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु व्ययित दोमुनी भूमि 9.00 हे० का निरीक्षण प्रस्तावक विभाग की ओर से सहयक अभियंता, कमिश्नर अभियंता, उनमीन लो० नि० वि० अखीमठ, राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उपनिरीक्षक फाता एवं वन विभाग की ओर से वन दुरोगा (गुप्तकाशी अनुभाग, वन बीट अधिकारी बदलपुर कीट द्वारा किया गया, जिसमें भूमि की श्रेणी 9(ख)-2 अन्य प्रकार के जंगलनाडियों खाता संख्या-26 के खसरा नं० 822, कुल रकवा 5.437 मध्ये 5.437, खसरा नं० 823 कुल रकवा 3.794 मध्ये 3.563 अर्थात् कुल 9.00 हे० के कब्जे का संयुक्त निरीक्षण किया गया, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल में बने पिल्लरों की G.P.S. Reading कब्जा प्रमाण पत्र में संलग्न है,

Kkathant  
(कारन क०त)  
अमीन  
लो.नि.वि करबीमठ


  
(S.T. Akhu)  
AAG, PWD  
UKhimath

  
(राजुलराजत)  
व०वी०अ०  
गुप्तकाशी मुंसि

Abhishek  
(अभिशेक नेगी)  
वन दुरोगा  
गुप्तकाशी युमित

  
राजस्व उप निरीक्षक

क्षेत्र जाय  
तहसील डुवा मठ  
जनपद - रुद्रप्रयाग

  
(Narayandra Kumar)  
(AE)  
C-D PWD (Uchimth)

:: आदेश ::

अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग के पत्रांक- 24/13C दिनांक 28-05-2021 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उ0मध्य क्षेत्र), देहरादून के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत त्रिगुमीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सौद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या- 3 (क) के अनुपालन में चयनित सिविल सोयम भूमि ग्राम न्यालसू के खसरा संख्या- 822, 823 में 9.00 है0 भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम म्यूटेशन/ नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या- 100/र0का0-क्षति0वृ0/(2020-21) दिनांक 22 जून, 2021 को अग्रसारित करते हुये अवगत कराया गया है कि राज्य योजना के अन्तर्गत त्रिगुमीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है0 वनभूमि के सापेक्ष, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम न्यालसू (रामपुर) में चयनित 9.000 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम म्यूटेशन किया जाना है। उक्त चयनित भूमि ग्राम न्यालसू के ज0वि0र0-श्रेणी 9(ख)(2)- अन्य प्रकार के जंगल झाड़ियां व लम्बी घास की भूमि की श्रेणी में खतौनी खाता संख्या- 26 के खसरा संख्या 822 रकवा 5.437 है0 मध्ये सम्पूर्ण रकवा 5.437 है0 तथा खसरा संख्या- 823 रकवा 3.794 है0 मध्ये 3.563 है0 कुल 9.000 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है।

अतः शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र फाटा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम न्यालसू के खतौनी खाता संख्या- 26 के खसरा संख्या 822 रकवा 5.437 है0 मध्ये सम्पूर्ण रकवा 5.437 है0 तथा खसरा संख्या- 823 रकवा 3.794 है0 मध्ये 3.563 है0 कुल 9.000 है0 चयनित भूमि को उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलदरागद करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक-22-07-2021

ह0/-  
(मनुज गोयल)  
जिलाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग।

राजस्व उपनिरीक्षण सत्र-१९७७

तक)

से १५२७

(कसली) वर्ष १५२३

नकल-खसरा ग्राम- न्याट(डी)


तहसील-रुखीमठ जनपद-रुद्रप्रयाग

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						

*(Signature)*  
R.S. 11/12/08  
A-112/08

P.C Attested

*(Signature)*  
राजस्व उपनिरीक्षण  
विभाग रुद्रप्रयाग  
कसली (रुद्रप्रयाग)



कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

- संख्या- 17/2020-21/ दिनांक: रुद्रप्रयाग।  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 2- सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग-02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  - 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  - 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 5- आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।
  - 6- उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
  - 7- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र स्वतः की नकल वन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
  - 8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ।

Ameen

27/07/2021  
A.E.E.  
26.7.2021

अपर, जिलाधिकारी  
रुद्रप्रयाग।

## AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

at 19-08-2021

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6139084895
State Code.	UK
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(in Rs)	22350618/-

Amount in Words :Two Crore Twenty-Three Lakh Fifty  
Thousand Six Hundred and Eighteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6139084895
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

- This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-08-2021

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6139084895
State Code.	UK
Address:	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAG Rudraprayag
Amount(in Rs)	22350618/-

Amount in Words :Two Crore Twenty-Three Lakh Fifty  
Thousand Six Hundred and Eighteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6139084895
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0534498

- This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [ubicampa@unionbankofindia.com](mailto:ubicampa@unionbankofindia.com)

AGENCY COPY


**Union Bank**  
of India


## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-08-2021

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6139084895
MoEF/SG File No.	8D/UCP/06/179/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(in Rs)	22350618/-

Amount in Words: Two Crore Twenty Three Lakh Fifty  
Thousand Six Hundred and Eighteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896139084895 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

\* This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only



After making successful payment, User Agencies may  
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan,  
even after 7 working days, then kindly mail a copy of vc  
Email: cb0371@unionbankofindia.com

*M. S. Singh*  
Executive Engineer

Const. Div. P.W.D.

Ukhimath (Rudraprayag)



SBIN R52021091341697292

forestsclearance.nic.in/UserAccount/Neft\_ChallanCorp.aspx?pid=RO

